"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218] रायपुर, शनिवार, दिनांक 2 जुलाई 2011—आषाढ़ 11, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-9/2008/1/5.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन नई दिल्ली, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती तथा सदस्यों की सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.** - (1) ये नियम आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन/सदन, नई दिल्ली, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2011 कहलाएंगे।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं .**- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) सेवा में संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन।

(ख) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, सीधी भर्ती के लिए शासन द्वारा गठित चयन समिति।

(ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन।

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल।

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची।

(च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति।

(छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति।

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग।

(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, "आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन/सदन, नई दिल्ली, तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा"।

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना .-** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन .-** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलत: धारण कर रहे हों ;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों ; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि .-** सेवा का वर्गीकरण, उनसे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगी :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका .-** (1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :-

(क) प्रतियोगिता परीक्षा या मैरिट के आधार पर चयन एवं साक्षात्कार द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा, जैसा कि अनुसूची-चार में विनिर्दिष्ट है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक या स्थानापन्न हैसियत से धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप- नियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-दो में दर्शाये गये पदों की संख्या एवं प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनायी जाने वाली भर्ती के तरीके और ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर चयन द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से पदों को भरे जाने के लिए शासन द्वारा मानदण्ड निर्धारित किए जाएंगे। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह एक चयन समिति गठित करे, जो शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित मानदण्डों के अतिरिक्त, अन्य युक्तिसंगत मानदण्ड शासन के अनुमोदन से अपना सकेगा।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट प्रावधान लागू रहेंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम–6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.**– चयन के लिए पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(1) **आयु.**–(क) विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो एवं उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विषेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम (4) में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी शासकीय सेवक हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, "जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह तक की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु मे से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगाः

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण–शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई हो या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया होः–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन्स) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिसमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);

(5) अवकाश पर निरंतर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किए गए अधिकारी;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) उन अभ्यर्थियों के लिए भी जो परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) जनजाति, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपत्ति के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के संबंध में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी– (1) उपरोक्त नियम–8 (घ) (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो तो वे पात्र बने रहेंगे।

(ट) आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश लागू रहेंगे।

(ठ) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या अधिक आधार पर छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) **शैक्षणिक अर्हता:**— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची—तीन में दर्शाई गई है।

(3) **फीस:**— अभ्यर्थी को शासन द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**— अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार या चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चिय अंतिम होगा.**— परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और कोई भी अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.**— (1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**— नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा जिसमें तीन सदस्य समाविष्ट होंगे:—

(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से समय—समय पर अवधारित करे।

(दो) परीक्षा, शासन द्वारा समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती**— (एक) सेवा में सीधी भर्ती के लिए चयन, ऐसे अंतरालों से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।

(दो) अभ्यर्थियों का चयन, साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति द्वारा किया जायेगा।

(तीन) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समुचित समय अन्तरालों में गठित की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए, सीधी भर्ती के प्रक्रम में पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994

(क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के सदस्य हैं, नियुक्ति हेतु उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप–नियम (3) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30 प्रतिषत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो सक्षम प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसरण में, विकलांग अभ्यर्थियों के लिए, आरक्षण रहेगा।

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.– (1) नियुक्ति प्राधिकारी, उन अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित उन अभ्यर्थियों की पृथक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से

अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, शासन को अग्रेषित करेगा। यह सूची सामान्य जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्त के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में अभ्यर्थियों का नाम शामिल किए जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्त के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **परिवीक्षा.**– सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। किन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 में अन्तर्विष्ट उपबंधों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(4) रिक्तियों पर पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उपरोक्त उप–नियम (3) में उल्लिखित नियम एवं शासन के सामान्य प्रषासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

15. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए पात्रता की शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों में या शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है, उतने वर्षो की सेवा (चाहे मूल रूप में

या स्थानापन्न रूप में) जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप–नियम (2) के उपबंधो के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रखे जायेंगे।

(3) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**– (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 15 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, इस प्रकार चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविर्निदिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण – ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया है किंतु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया है, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उनके ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

17. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति के लिए ऐसी चयन सूची, उस कैलेण्डर वर्ष जिसके लिए वह तैयार की गई है, के लिये ही मान्य होगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी अभ्यर्थी के द्वारा कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में कोई गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

(2) साधारणतः ऐसा कोई व्यक्ति जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में, उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो।

19. **उपयुक्तता के लिए परीक्षण** .– सेवा में पदोन्नति से नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जाएगा।

20. **निर्वचन.**–यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण.**–इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. **व्यावृति.**– इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी।

23. **निरसन तथा व्यावृति.**– इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

अनुसूची–एक

(नियम 5 देखिए)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैण्ड		टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
				वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	
1.	सहायक सत्कार अधिकारी	01	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4300	
2.	सहायक लायजन अधिकारी	01	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4300	
3.	निज सहायक	02	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4300	
4.	लेखापाल	01	तृतीय श्रेणी	9300–34800	4200	
5.	स्टेनोग्राफर	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200	2800	
6.	सहायक ग्रेड–2	02	तृतीय श्रेणी	5200–20200	2400	
7.	सहायक ग्रेड–3	02	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900	
8.	कैशियर	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900	
9.	स्टेनो–टाइपिस्ट	03	तृतीय श्रेणी	5200–20200 (विशेष वेतन 125)	1900	
10.	सत्कार सहायक	04	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900	
11.	आरक्षण लिपिक	01	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900	
12.	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900	
13.	स्वागती	08	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900	
14.	टेलीफोन ऑपरेटर	02	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900	
15.	वाहन चालक	08	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900	
16.	रसोईयाँ	02	तृतीय श्रेणी	5200–20200	1900	

अनुसूची–दो

(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियां
			चयन द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा नियम 6(1) (क) देखिए	सेवा के स्थानापन्न/मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(1) (ख) देखिए	अन्य सेवा से अस्थायी स्थानान्तरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा नियम 6(1) (ग) देखिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन/सदन, नई दिल्ली का कार्यालय	सहायक सत्कार अधिकारी	01	— —	— —	100%	उपयुक्त कर्मचारियों की अनुपलब्धता में, राज्य शासन से अस्थायी स्थानांतरण द्वारा पदों को भरा जाएगा।
	सहायक लायजन अधिकारी	01	— —	— —	100%	—तदैव—
	निज सहायक	02	— —	100%	— —	—तदैव—
	लेखापाल	01	— —	100%	— —	—तदैव—
	स्टेनोग्राफर	01	— —	100%	— —	—तदैव—
	सहायक ग्रेड–II	02	— —	100%	— —	—तदैव—
	सहायक ग्रेड–III	02	75%	25%	— —	
	कैशियर	01	100%	— —	— —	
	स्टेनो–टाइपिस्ट	03	100%	— —	— —	
	सत्कार सहायक	04	100%	— —	— —	

	आरक्षण लिपिक	01	100%	— —	— —	
	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02	100%	— —	— —	
	स्वागती	08	50%	50%	— —	
	टेलीफोन ऑपरेटर	02	100%	— —	— —	
	वाहन चालक	08	100%	— —	— —	
	रसोईयॉं	02	— —	100%	— —	

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन/सदन, नई दिल्ली का कार्यालय	कैशियर	18	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा में गणित अथवा सांख्यिकी अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अनिवार्य विषय के रूप में उत्तीर्ण होना चाहिये।	
	स्टेनो—टाइपिस्ट	18	—तदैव—	निम्नलिखित परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये:— 1. आवेदक, किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक प्रथम वर्ष उत्तीर्ण हो या भर्ती नियम के अनुसार पात्रता शर्तें रखता हो। 2. आवेदक, किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण तथा 60 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण—पत्र साथ ही डाटा एन्ट्री की 5000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए।	
	सत्कार सहायक	18	—तदैव—	आवेदक, किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।	
	आरक्षण लिपिक	18	—तदैव—	आवेदक, किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा	

				उत्तीर्ण होना चाहिये।	
	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	18	–तदैव–	1. आवेदक, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा किसी मान्यता प्राप्त मंडल से कक्षा 10वीं साथ ही किसी भी विषय में 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिये। 2. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय डिप्लोमा। 3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा की गति।	
	स्वागती	18	–तदैव–	1. आवेदक, किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। 2. स्वागती के रूप में होटल मैनेजमेंट प्रषिक्षण संस्थान से प्रमाण–पत्र।	
	टेलीफोन ऑपरेटर	18	–तदैव–	1. आवेदक, किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था से हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा या उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। 2. महानगर टेलीफोन निगम से ई.पी.ए.बी.एक्स. के संचालन का प्रशिक्षण पूर्ण करने संबंधी प्रमाण–पत्र।	
	वाहन चालक	18	–तदैव–	आवेदक, आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये साथ ही विधिमान्य वाहन चालक अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) धारण करता हो।	

अनुसूची—चार
(नियम 15 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन/सदन, नई दिल्ली का कार्यालय	स्टेनो टाईपिस्ट	स्टेनोग्राफर	05 वर्ष	विभागीय पदोन्नति समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय—समय पर गठित की जायेगी।
	स्टेनोग्राफर	निज सहायक	05 वर्ष	
	सहायक ग्रेड— II	लेखापाल	05 वर्ष	
	सहायक ग्रेड— III/कैशियर/आरक्षण लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	सहायक ग्रेड— II	05 वर्ष	

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 8-9/2008/1/5.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-9/2008/1/5, दिनांक 02-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd July 2011

NOTIFICATION

No. F 8-9/2008/1/5.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment and service conditions of the members of the Office of the Resident Commissioner, Government of Chhattisgarh at New Delhi, Class-III (Non-gazetted) Service, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement .-** (1) These rules may be called the Office of the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan, New Delhi, Class-III (Non-gazetted) Service Recruitment Rules, 2011.

(2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions .-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan.

(b) "Selection Committee" means selection committee constituted by the Government for direct recruitment.

(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh.

(d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh.

(e) "Schedule" means schedule appended to these rules.

(f) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India.

(g) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India.

(h) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time.

(i) "Service" means the "Office of the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan, New Delhi, Class-III (Non-gazetted) Service".

(j) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of Service. -** (1) The service shall consist of the following persons, namely :-

(a) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I ;

(b) Persons recruited to the service before the commencement of these rules ; and

(c) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**- The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.** – (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment, by competitive examination or selection on the basis of merit and interview;

(b) By promotion as specified in Schedule IV;

(c) By transfer or deputation of persons who held in a substantive or officiating capacity such posts, in such services as specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (a) or clause (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the number of posts and the percentage shown in Schedule-II.

(3) Subject to the provisions of these rules, the methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of service so require, the Government may, with prior concurrence of the General Administration Department, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) The yardsticks for filling up the posts through direct recruitment by selection on the basis of merit shall be fixed by the Government. However it would be necessary for the appointing authority to constitute a selection committee which may, with the approval of the Government, also adopt appropriate yardsticks in addition to those already determined by the Government.

(6) At the time of recruitment provisions contained in Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) shall remain in force.

7. **Appointment to the Service.** - All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of eligibility for Direct Recruitment.** - In order to be eligible for selection, the candidate must satisfy the following conditions, namely: -

(1) **Age.**-(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of publication of advertisement.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 (five) years, if a candidate belongs to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Class (Non-Creamy-layer).

(c) The upper age limit for women candidates shall be relaxable upto a maximum of ten years in accordance with the provisions contained in rule (4) of Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women), Rules 1997.

(d) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below: -

(i) A candidate who is a permanent Government servant should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate who is a temporary Government Servant and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charge employees and employees working in the Project Implementing Committees.

(iii) A candidate who is a "retrenched Government Servant" shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation - The term 'retrenched' Government Servant denotes a person who was in temporary Government service of this state or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of entire defense service previously rendered by him:

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation – The term 'ex-serviceman' denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service: -

(1) Ex-Serviceman released under mustering out concession;
(2) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged;
  (a) On completion of short term engagement;
  (b) Fulfilling the conditions of enrolment;
(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned Officers);
(5) Officers discharged on account of continuously being on leave after working for more than six months on a continuous basis;
(6) Ex-serviceman discharged from service on account of invalidity;
(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
(8) Ex-serviceman who is discharged from service on medical ground, on account of gun shot wounds;

(f) The upper age limit shall also be relaxable upto 2 (two) years for those candidates who are holding Green Cards under the Family Planning Programme;

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 (five) years in respect of superior caste partner of a couple awarded under the inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Department;

(h) The upper age limit shall be relaxed upto 5 (five) years in respect of the Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award and Maharaja Praveer Chandra Bhanjdeo Award holder and National Youth Award Holder Young Candidates;

(i) The upper age limit shall be relaxable up to 38 years of age who are the employees of Chhatishgarh State Corparation/ Boards;

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and Non Commissioned Officer of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but, in no case their age should exceed 38 (Thirty eight) years.

Note – (1) Candidates who are admitted to the examination/selection under the age concessions mentioned in rule- 8 (d)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application they resign from service either before or after examination/selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(k) Orders regarding age limit issued by the General Administration Department of the Government from time to time shall be applicable.

(l) The upper age limit of any candidate for entry into government service shall not exceed 45 years even after getting the benefit of relxation on one or more grounds mentioned above.

(2) **Educational Qualification:** - The candidates must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III.

(3) **Fees:** - The candidates must pay the fees prescribed by the Government.

9. **Disqualification.** - Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for Examination/Interview or Selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.**- The decision of the Appointing Authority as to eligibility or otherwise of a candidate for appearing in the examination/interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be admitted to the examination/interview.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination/Selection.– (1) Direct recruitment by competitive examination** – Appointing Authority shall constitute a selection committee comprising of three members :–

(i) competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority in consultation with the Government from time to time determine.

(ii) The examination shall be held by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) Direct recruitment by selection- (i) The Selection for direct recruitment to the service shall be held at such intervals as determine by Appointing Authority.

(ii) The selection of candidates will be done by selection committee based on interview.
(iii) Selection Committee will be constituted by Appointing Authority at appropriate time intervals.
(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No.21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.
(4) In filling the vacancies so reserved, candidates, who are members of the Scheduled Castes ,Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under sub-rule (3).
(6) 30% posts shall be reserved for women candidates, in accordance with the provision of Chhattishgarh Civil Services, (Special Provision for Appointment of Women) Rule,1997.
(7) In such cases, where experience of the some period has been prescribed as an essential condition for the posts to filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the competent authority that there is a possibility, that the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, may not be available in sufficient number, the competent authority may relax the condition of experience in respect of the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) Reservation for handicapped candidates shall be in accordance with the direction of the General Administration Department.

12. **List of Candidates Recommended by the Selection Committee.-** (1) The Appointing Authority shall forward to the Government a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as determined by the Selection Committee and separate list for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard but are declared by the Selection Committee to be suitable for the appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. **Probation.** - Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. **Appointment by Promotion.** - (1) A committee shall be constituted for initial selection of eligible candidates for promotion. But under this sub-rule the provisions contained in Section 8 of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) will be followed for the purpose of constitution of the committee.

(2) The committee shall meet at such intervals but ordinarily not exceeding one year.

(3) The promotion shall be made in accordance with the provisions contained in Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(4) The procedure for promotion against vacancy shall be in accordance with the rules mentioned in sub-rule (3) above and instructions of the General Administration Department of the Government from time to time.

15. **Conditions of eligibility for Promotion/Transfer.**- (1) Subject to the provision of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of years of service, (whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation - Manner of computation for eligibility for promotion – Period of qualifying service on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post.

(2) There shall be reservation in promotion as per provisions contained in Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003

(3) Promotion shall be made as per the reservation roster prescribed by the Government for promotion.

16. **Preparation of the list of Suitable Candidates.**- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of such select list.

(2) The names of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Scheduled-IV at the time of preparation of such select list.

Explanation - A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

17. **Select List.**- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the select list for promotion of the members of service from the posts specified in column (2) of Schedule-IV to the posts specified in column (3) of Schedule-IV.

(2) Such select list for promotion shall be valid only for that calander year for which it is prepared

Provided that in the event of any serious lapse having been committed by any candidate included in the select list, in the conduct or discharge of his/her duties, the select list could be subjected to special review at the instance of the Government and if it deems appropriate, the name of such person from the select list can be removed.

18. **Appointment to the service from the select list.**- (1) Appointment of the employees included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall be made as per the provisions contained in Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(2) In general, there will be no need to consult the committee before appointment to the service of any such person whose name is included in the select list for the service, unless such deterioration has arisen in his work in the period between the date of inclusion of his name in the select list and date of proposed appointment, which in the opinion of the Appointing Authority renders him unsuitable for appointment to the service.

19. **Trial for suitability** - Every person appointed by promotion to the service shall be appointed in an officiating capacity for the period of two years.

20. **Interpretation.** - If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation.** - Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that no case shall be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect the reservation and other conditions required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

23. **Repeal and Saving.** - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

SCHEDULE – I

(See Rule-5)

Sl. no.	Name of the Posts included in the Service	Total Number of Posts	Classification	Pay Band		Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
				Pay Band	Grade Pay	
1-	Assistant Protocol Officer	01	Class III	9300-34800	4300	
2.	Assistant Liaison Officer	01	Class III	9300-34800	4300	
3.	Personal Assistant	02	Class III	9300-34800	4300	
4.	Accountant	01	Class III	9300-34800	4200	
5.	Stenographer	01	Class III	5200-20200	2800	
6.	Assistant Grade -2	02	Class III	5200-20200	2400	
7.	Assistant Grade -3	02	Class III	5200-20200	1900	
8.	Cashier	01	Class III	5200-20200	1900	
9.	Steno-typist	03	Class III	5200-20200 (special pay 125)	1900	
10.	Protocol Assistant	04	Class III	5200-20200	1900	
11.	Reservation Clerk	01	Class III	5200-20200	1900	
12.	Computer operator cum Data entry operator	02	Class III	5200-20200	1900	
13.	Receptionist	08	Class III	5200-20200	1900	
14.	Telephone operator	02	Class III	5200-20200	1900	
15.	Driver	08	Class III	5200-20200	1900	
16.	Cook	02	Class III	5200-20200	1900	

SCHEDULE – II

(See Rule 6)

Name of the Department	Name of the Post	Total Number of Posts	Percentage of Number of Duty Posts to be filled in.			Remarks
			By direct recruitment by selection vide rule 6(1) (a)	By Promotion Substantive/ Officiative members of service vide rule 6(1) (b)	By Temporary Transfer from Other service/deputation Rule 6(1) (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Office of the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan, New Delhi.	Assistant Protocol Officer	01	----	----	100%	On non-availability of suitable employees, post to be filled by temporary transfer from the State Government
	Assistant Liaison Officer	01	----	----	100%	
	Personal Assistant	02	----	100%	----	--do--
	Accountant	01	----	100%	----	--do--
	Stenographer	01	----	100%	----	--do--
	Assistant Grade-II	02	----	100%	----	--do--
	Assistant Grade-III	02	75%	25%	----	--do--
	Cashier	01	100%	----	----	
	Steno-typist	03	100%	----	----	
	Protocol Assistant	04	100%	----	----	
	Reservation Clerk	01	100%	----	----	
	Computer operator cum data entry operator	02	100%	----	----	
	Receptionist	08	50%	50%	----	
	Telephone operator	02	100%	----	----	
	Driver	08	100%	----	----	
	Cook	02	----	100%	----	

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

Name of the Department	Name of the post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Office of the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan, New Delhi	Cashier	18	30 years (35 years for domicile residence of Chhattisgarh State)	Must have passed Higher Secondary Examination (10+2) or equivalent examination with Maths or Statistics or Economics or Commerce as compulsory subject.	
	Steno-typist	18	- - Do - -	Must have passed the following examination :- 1. Applicant have passed Higher Secondary Examination (10+2) from a recongnised board/institution or a pass in first year degree or elgiblility condition as per recruitment rules. 2. Applicant have passed in Hindi typing with 25 words per minute and Hindi steno graphy with 60 words per minute from a recognised board/institution. 3. One year diploma/certificate in data entry operating/programming from a recognized institution with 5000 key depressions per hour of data entry.	
	Protocol Assistant	18	- - do- -	Applicant have passed Higher Secondary Examination (10+2) or any other equivalent examination from a recognized board/institution.	
	Reservation Clerk	18	- - do - -	Applicant have passed Higher Secondary Examination (10+2) or any other equivalent examination from a recognized board/institution.	
	Computer operator cum data entry operator	18	- - do - -	1. Applicant have passed Higher Secondary Examination (10+2) from a recognized board or a pass class-10 from a recognized board with 3 years diploma in any subject. 2. One year diploma in data entry operation / programming from recognised Institute. 3. 8000 key depression per hour in Hindi and English on computer.	
	Receptionist	18	- - do - -	1. Applicant have passed Higher Secondary Examination (10+2) or any other equivalent examination from a recognized board/institution. 2. A Certificate from Hotel Management Training Institute as a receptionist.	
	Telephone Operator	18	- - do - -	1. Applicant have passed Higher Secondary Examination (10+2) or any other equivalent examination from a recognized board/institution. 2. Certificate from Mahanagar Telephone Nigam in support of completion of the training the operation of EPABX.	
	Driver	18	- - do - -	Applicant have passed 8th cla... with holding valid Driving License.	

SCHEDULE – IV
(See Rule 15)

Name of the Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post in which promotion is to be made	Minimum period of service for promotion	Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Office of the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan, New Delhi	Steno typist	Stenographer	05 years	The Departmental Promotion Committee shall be as constituted by the appointing authority from time to time.
	Stenographer	Personal Assistant	05 years	
	Assistant -II	Accountant	05 years	
	Assistant-III/ Cashier/Reservation Clerk/Computer operator cum data entry operator	Assistant-II	05 years	

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर–492001

//अधिसूचना//

रायपुर दिनांक 02 जुलाई, 2011

क्रमांक एफ 8–23/2010/1/5 : :भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन नई दिल्ली चतुर्थ श्रेणी सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**– (1) ये नियम आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन/सदन, नई दिल्ली चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2011 कहलाएंगे।

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन,

   (ख) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, सीधी भर्ती के लिए शासन द्वारा गठित चयन समिति;

   (ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

   (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (ड) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (च) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (छ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथा–निर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) "सेवा" से अभिप्रेत है, "आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन/सदन, नई दिल्ली, चतुर्थ श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा";

(स) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलत होंगे, अर्थात :–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट पद, मूलतः धारण कर रहे हों।

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची–एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय–समय पर या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात :–

(क) गुणागुण तथा साक्षात्कार के आधार पर प्रतियोगी परीक्षा या चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) पदोन्नति द्वारा, जैसा कि अनुसूची–चार में विनिर्दिष्ट है।

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, स्थानापन्न रूप से या मूल रूप से धारण करते हों।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–दो में दर्शाये गए पदों की संख्या एवं प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिसे या जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाई जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके और ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के लिये उन तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगी, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित किए जा सकेंगे। तथापि नियुक्ति अधिकारी द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित किया जाना आवश्यक होगा, जो इन मापदण्डों के अलावा शासन द्वारा पूर्व से अवधारित समुचित मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम–6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती हेतु पात्रता की शर्तें.**– चयन के लिए पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात :–

(एक) **आयु**– **(क)** उसने विज्ञापन के प्रकाशित होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–तीन के कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम (4) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु–सीमा में छूट दी जाएगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी शासकीय सेवक हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, "जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु–सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – पद "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की निरंतर कालावधि तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन

हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन **वर्ष** पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगाः

किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफ़ारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी कर दी गई हो या जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो:–

(1) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जो समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिए गए हों;

(2) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें दोबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो;

(3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किया गया हो;

(5) ऐसे "अधिकारी" जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण, छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवामुक्त कर दिया गया हो;

(6) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(7) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त कर दिया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक हैं; उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) जनजाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपत्ति के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान से सम्मानित खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी;

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी है, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी;

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के लिए उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्षों की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ट) निराश्रित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

(ठ) इस संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ड) किसी भी अभ्यर्थी को उपरोक्तानुसार एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिए जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु उच्चतर आयु सीमा 45 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी – (1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड (घ) के उप–खण्ड (एक) तथा (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन हेतु पात्र पाए गए हैं, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं। तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उनकी सेवा या पद से छटनी की गई हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

टिप्पणी – (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपसंजात होने के लिए अपने नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(दो) **शैक्षणिक अर्हताएं** – अभ्यर्थी के पास अनुसूची–तीन में दर्शाई गई सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए।

(तीन) **फीस** – अभ्यर्थी को शासन द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता** – अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्ही भी साधनों द्वारा समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे परीक्षा/साक्षात्कार या चयन के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.** – परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश–प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

11. (1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती** – (एक) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति गठित की जाएगी जिसमें तीन सदस्य होंगे।

(दो) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से समय–समय पर, अवधारित करे।

(तीन) परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किए गए ऐसे आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जाएगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती** – (एक) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी आवासीय आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ भवन/सदन, समय–समय पर अवधारित करें।

(दो) चयन समिति द्वारा सेवा में अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(तीन) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर, गठित की जाएगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार आरक्षित किया जाएगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित होंगे।[5]

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है,

वहां सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार पद आरक्षित होंगे।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**–(1) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में बनाई गई एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की एक पृथक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किए गए हैं, शासन को अग्रेषित करेगा। सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आये हैं।

(3) सूची में अभ्यर्थियों का नाम शामिल किए जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची इसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक की कालावधि के लिए विधिमान्य होगी।

13. **परिवीक्षा.**– सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 2 वर्षों की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। परन्तु इस उप–नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) की धारा 8 में अन्तर्विष्ट उपबंधों का भी अनुसरण किया जाएगा।

(2) समिति का सम्मिलन ऐसे अंतरालों से किया जाएगा, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में अन्तर्विष्ट उपबंधो के अनुसार पदोन्नति की जाएगी।

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया उपरोक्त उप-नियम 3 में उल्लिखित नियम एवं शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

15. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए पात्रता की शर्तें**.– (1) उप-नियम (2) के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों पर या उनके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर/ जिनसे पदोन्नति की जानी है, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जैसा कि शासन द्वारा अनुसूची-चार के कालम (4) में विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप-नियम (2) के उपबंधो के अनुसार विचारण के क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरण – पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीतिः– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा।

(3) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी।

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना**.– (1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह

सूची चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) ऐसी चयन सूची की तैयारी के समय, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची–चार के कालम–(2) में यथा विर्निदिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम से रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरण – ऐसे व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किंतु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

17. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कालम (2) में दर्शाए गए पदों से अनुसूची–चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) पदोन्नति के लिए ऐसी चयन सूची, उस कैलेण्डर वर्ष जिसके लिए वह तैयार की गई है, के लिए मान्य होगी।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी अभ्यर्थी की ओर से, उसके कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक की चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट उत्पन्न् न हो जाए, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

19. **उपयुक्तता के लिए परीक्षण**— सेवा में पदोन्नति से नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्षों की कालावधि के लिए स्थानापन्न हैसियत में नियुक्त किया जाएगा।

20. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह राज्यपाल की, किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से जो उसे उचित तथा साम्यपूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

22. **व्यावृति.**— इन नियमों की कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शासन द्वारा समय—समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किये जाने के लिए अपेक्षित संकल्प तथा शर्तो को प्रभावित नहीं करेगी।

23. **निरसन तथा व्यावृति.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत सभी नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते है :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधो के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिए)

सरल क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैण्ड		टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
				वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन	
1	भृत्य	06	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440	1300	
2	वेटर	16	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440	1400	
3	सहायक कुक	01	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440	1400	
4	किचनमेट	02	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440	1300	
5	चौकीदार	02	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440	1300	
6	माली	02	चतुर्थ श्रेणी	4750—7440	1300	
		योग 29				

अनुसूची–दो
(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिषत			टिप्पणी
			चयन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा नियम 6 (1) (क) देखिए	सेवा के स्थानापन्न/मूल सदस्यों की पदोन्नति के द्वारा नियम 6 (1) (ख) देखिए	अन्य सेवा/प्रतिनियुक्ति से अस्थायी स्थानान्तरण द्वारा नियम 6 (1) (ग) देखिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आवासीय आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ भवन/सदन नई दिल्ली	भृत्य	06	100%	— —	— —	
	वेटर	16	100%	— —	— —	
	सहा0 रसोईया	01	100%	— —	— —	
	किचनमेट	02	100%	— —	— —	
	चौकीदार	02	100%	— —	— —	
	माली	02	100%	— —	— —	
		योग 29				

अनुसूची–तीन
(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आवासीय आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ भवन/सदन नई दिल्ली	भृत्य	18	30 वर्ष (छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष)	5वीं कक्षा उत्तीर्ण।	
	वेटर	18	तदैव	8वीं कक्षा उत्तीर्ण।	
	सहायक रसोइया	18	तदैव	8वीं कक्षा उत्तीर्ण।	
	किचन मेट	18	तदैव	5वीं कक्षा उत्तीर्ण।	
	चौकीदार	18	तदैव	5वीं कक्षा उत्तीर्ण।	
	माली	18	तदैव	8वीं कक्षा उत्तीर्ण।	

अनुसूची–चार
(नियम 15 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आवासीय आयुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़ भवन/सदन नई दिल्ली	सहा0 रसोइया/किचन मेट	रसोइया	05 वर्ष	विभागीय पदोन्नति समिति समय–समय पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित की जाएगी
	चतुर्थ वर्ग	स्वागती/टेलीफोन ऑपरेटर	05 वर्ष	उपरोक्तानुसार

रायपुर, दिनांक 2 जुलाई 2011

क्रमांक एफ 8-23/2010/1/5.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-23/2010/1/5, दिनांक 02-07-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 2nd July 2011

NOTIFICATION

No. F - 8–23/2010/1/5: : In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment and service conditions of the members of the Office of the Resident Commissioner, Government of Chhattisgarh at New Delhi class-IV service, New Delhi, namely: -

RULES

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Office of the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan, New Delhi Class-IV Service Recruitment Rules, 2011;

   (2) They shall come into force, with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires,-
   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan,
   (b) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
   (c) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
   (d) "Schedule" means schedule appended to these rules;
   (e) "Schedule Caste" means the Scheduled Caste as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
   (f) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribe as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
   (g) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;
   (h) "Service" means the "Office of the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan, New Delhi, class-IV (non-gazetted) Service";
   (i) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.**-Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of Service.**- (1) The service shall consist of the following persons, namely: -

   (a) Persons who at the commencement of these rules are holding the posts specified in Schedule-I.

(b) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and

(c) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules:

5. **Classification, Scale of Pay etc.**:- The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**– (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment, by competitive examination or selection on the basis of merit and interview.

(b) By promotion as specified in Schedule-IV.

(c) By transfer or deputation of persons who held in a substantive or officiating capacity such posts, in such services as specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (a) or clause (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the number of posts and the percentage shown in Schedule-II.

(3) Subject to the provisions of these rules, the methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of service so require, the Government may, with prior concurrence of the General Administration Department, adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) The yardsticks for filling up the posts through direct recruitment by selection on the basis of merit shall be fixed by the Government. However it would be necessary for the Appointing Authority to constitute a selection committee which may, with the approval of the Government, also adopt appropriate yardsticks in addition to those already determined by the Government.

(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued from time to time by General Administration Department shall be applicable.

7. **Appointment to the Service.** - All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of eligibility for Direct Recruitment.**- In order to be eligible for selection, the candidate must satisfy the following conditions, namely: -

(1) **Age.**-(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of publication of advertisement.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit for women candidates shall be relaxable upto a maximum of ten years in accordance with the provisions contained in rule (4) of Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall be relaxable in respect of candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below: -

(i) A candidate who is a permanent Government servant should not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate who is a temporary Government Servant and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charge employees and employees working in the Project Implementing Committees.

(iii) A candidate who is a "retrenched Government Servant' shall be allowed to deduct from his age, the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation - The term 'retrenched' Government Servant denotes a person who was in temporary Government service of this state or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of entire defense service previously rendered by him:

Provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation – The term 'ex-serviceman' denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and was retrenched or declared surplus as a result of the recommendations of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service: -

(1) Ex-Serviceman released under mustering out concession;
(2) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged;
    (a) On completion of short term engagement;
    (b) Fulfilling the conditions of enrolment;
(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned Officers);
(5) Officers discharged on account of continuously being on leave after working for more than six months on a continuous basis.
(6) Ex-serviceman discharged from service on account of invalidity.
(7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
(8) Ex-serviceman who is discharged from service on medical ground, on account of gun shot wounds.

(e) The upper age limit shall be relaxable up to maximum 2 years for those candidates who are holding green cards under the Family Welfare Programme;

(f) In case of a married couple awarded under the Inter Caste Marriage incentive programme of the Tribal, Harijan and Backward Classes Welfare Department, the upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of the spouse from the higher caste.

(g) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of players honoured with Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Samman, Maharaj Praveerchandra Bhanjdev Samman and candidates honoured with National Youth Award.

(h) The upper age limit shall be relaxable upto 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporation/Boards.

(i) The upper age limit shall be relaxed for voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service so rendered by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

(j) The upper age limit shall be relaxable to the destitute candidates as per the instructions issued by the State Government from time to time.

(k) The directions issued by the General Administration Department of the Government in this regard from time to time shall also be applicable.

(l) The upper age limit of any candidate for entry into government service shall not exceed 45 years even after getting the benefit of relxation on one or more grounds mentioned above.

Note 1.- The Candidates who are found eligible for selection under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after the selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note 2.- (1) In no other case shall these age limits be relaxed Departmental candidates must obtain prior permission of their Appointing Authority to appear for the selection.

(2) **Educational Qualification,** - The candidates must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) **Fees:** - The candidates must pay the fees prescribed by the Government.

9. **Disqualification.** - Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for Examination/Interview or Selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.**- The decision of the Appointing Authority as to eligibility or otherwise of a candidate for appearing in the examination/interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be admitted to the examination/interview.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination.** – (1) (i) A selection committee consisting of three members shall be constituted by the Appointing Authority.

(ii) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government from time to time, determine.

(iii) The examination shall be conducted by the selection committee in accordance with such orders issued by the Appointing Authority from time to time.

(2) Direct Recruitment by Selection:- (i) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority RC Office C.G.Bhawan/Sadan may, from time to time, determine.

(ii) Selection of candidates to service shall be through interview by selection committee.

(iii) The selection committee will be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be posts reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes), Act 1994 (No.21 of 1994).

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed against the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(6) There shall be posts reserved for women candidates, in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and the Competent Authority is of the opinion that there is a possibility that candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, may not be available in sufficient number, the Competent Authority may relax the condition of experience for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) There shall be posts reserved for handicapped candidates as per the directions of the General Administration Department.

12. **List of Candidates Recommended by the Selection Committee.**- (1) The Appointing Authority shall forward to the Government a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as determined by the Selection Committee and separate list for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard but are declared by the Selection Committee to be suitable for the appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) A select list shall be valid upto the period of one year from the date of issue.

13. **Probation.** - Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. **Appointment by Promotion.** - (1) A committee shall be constituted for initial selection of eligible candidates for promotion. But under this sub-rule the provisions contained in Section 8 of Chhattisgarh Civil Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act 1994 (No. 21 of 1994) will be followed for the purpose of constitution of the committee.

(2) The committee shall meet at such intervals but ordinarily not exceeding one year.

(3) The promotion shall be made in accordance with the provisions contained in Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules, 2003.

(4) The procedure for promotion against vacancy shall be in accordance with the rules mentioned in sub-rule 3 above and instructions of the General Administration Department of the Government from time to time.

15. Conditions of eligibility for Promotion/Transfer.- (1) Subject to the provision of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons who on the first day of January of that year had completed such number of years of service, (whether officiating or substantive) in the posts from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent by the Government as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation - Manner of computation for eligibility for promotion – Period of qualifying service on 1[st] January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post and not from the date of joining the feeder cadre/part of the service/pay scale of the post.

(2) There shall be reservation in promotion as per provisions contained in Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules, 2003

(3) Promotion shall be made as per the reservation roster prescribed by the Government for promotion.

16. Preparation of the list of Suitable Candidates.- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 15 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement/promotion during the course of one year from the date of preparation of such select list.

(2) The names of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule- IV at the time of preparation of such select list:

Explanation:- A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

17. Select List.- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the select list for promotion of the members of service from the posts specified in column (2) of Schedule IV to the posts specified in column (3) of Schedule-IV.

(2) Such select list for promotion shall be valid only for that calender year for which it is prepared:

Provided that in the event of any serious lapse having been committed by any candidate included in the select list, in the conduct or discharge of his/her duties, the select list could be subjected to special review at the instance of the Government, and if it deems appropriate, the name of such person from the select list can be removed.

18. Appointment to the service from the select list.- (1) Appointment of the employees included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall be made as per the provisions contained in Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules, 2003.

(2) In general, there will be no need to consult the committee before appointment to the service of any such person whose name is included in the select list for the service, unless such deterioration has arisen in his work in the period between the date of inclusion of his name in the select list and date of proposed appointment, which in the opinion of the Appointing Authority renders him unsuitable for appointment to the service.

19. Trial for suitability - Every person appointed by promotion to the service shall be appointed in an officiating capacity for the period of two years.

20. Interpretation. - If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government, whose decision thereon shall be final.

21. Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that no case shall be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. Saving. - Nothing in these rules shall affect the resolutions, and conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

23. Repeal and Saving. - All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

SCHEDULE – I

(See Rule 5)

Sl. no.	Name of the Posts included in the Service	Total Number of Posts	Classification	Pay Band		Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
				Pay Band	Grade Pay	
1	Peon	06	Class IV	4750-7440	1300	
2	Waiter	16	Class IV	4750-7440	1400	
3	Assistant Cook	01	Class IV	4750-7440	1400	
4	Kitchen Mate	02	Class IV	4750-7440	1300	
5	Chowkidar	02	Class IV	4750-7440	1300	
6	Gardener	02	Class IV	4750-7440	1300	
	Total	29				

SCHEDULE - II

(See Rule 6)

Name of the Department	Name of the Post	Total Number of Post	Percentage of Number of Duty Posts to be filed in.			Remarks
			By direct recruitment by selection vide rule 6 (1) (a)	By Promotion Substantive/ Officiative members of service vide rule 6 (1) (b)	By Temporary Transfer from Other service/deputation Rule 6 (1) (c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Office of the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan, New Delhi	Peon	06	100%	----	----	
	Waiter	16	100%	----	----	
	Assistant Cook	01	100%	----	----	
	Kitchen Mate	02	100%	----	----	
	Chowkidar	02	100%	----	----	
	Gardener	02	100%	----	----	
	Total	29				

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

Name of the Department	Name of the post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Office of the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan, New Delhi	Peon	18	30 year (35 year for domicile residence of Chhattisgarh State)	Class-V passed.	
	Waiter	18	....do...	Class-VIII passed.	
	Assistant Cook	18	......do...	Class-VIII passed.	
	Kitchen Mate	18	.....do....	Class-V passed.	
	Chowkidar	18	.......do.....	Class-V passed.	
	Gardener	18	.......do...	Class-VIII passed.	

SCHEDULE – IV
(See Rule 15)

Name of the Department	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post in which promotion is to be made	Minimum period of service for promotion	Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Office of the Resident Commissioner, Chhattisgarh Bhawan/Sadan, New Delhi	Assistant Cook/Kitchen mate	Cook	05 year	The Departmental Promotion Committee shall be as constituted by the appointing authority from time to time.
	Class- IV	Receptionist/Telephone Operator	05 year	.........do.......

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.